अध्याय–VI
अन्य कर प्राप्तियाँ

(अ) मनोरंजन कर विभाग

6.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत मनोरंजन कर आरोपित एवं वसूल होता है। यह किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए सभी भुगतानों पर समय–समय पर निर्दिष्ट दर से आरोपणीय होता है।

शासन स्तर पर मनोरंजन कर विभाग (विभाग) का नीति निर्धारण, अनुश्रवण एवं नियंत्रण प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है। मनोरंजन कर का आरोपण एवं वसूली का समग्र नियन्त्रण एवं उत्तरदायित्व आयुक्त, मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश का होता है जिनकी सहायता एक अतिरिक्त आयुक्त, संयुक्त आयुक्त (1), उप आयुक्त (3) एवं सहायक आयुक्त (1) द्वारा की जाती है। प्रदेश में जनपद स्तर पर, जिलाधिकारी नियन्त्रण अधिकारी होता है, जो मनोरंजन के संचालन, मनोरंजन कर के आरोपण एवं वसूली पर नियंत्रण तीन उपायुक्त मनोरंजन कर, 13 सहायक आयुक्त मनोरंजन कर एवं 59 जिला मनोरंजन कर अधिकारी मनोरंजन कर निरीक्षकों की सहायता के माध्यम से करते हैं।

चार्ट 6.1 संगठनात्मक ढाँचा

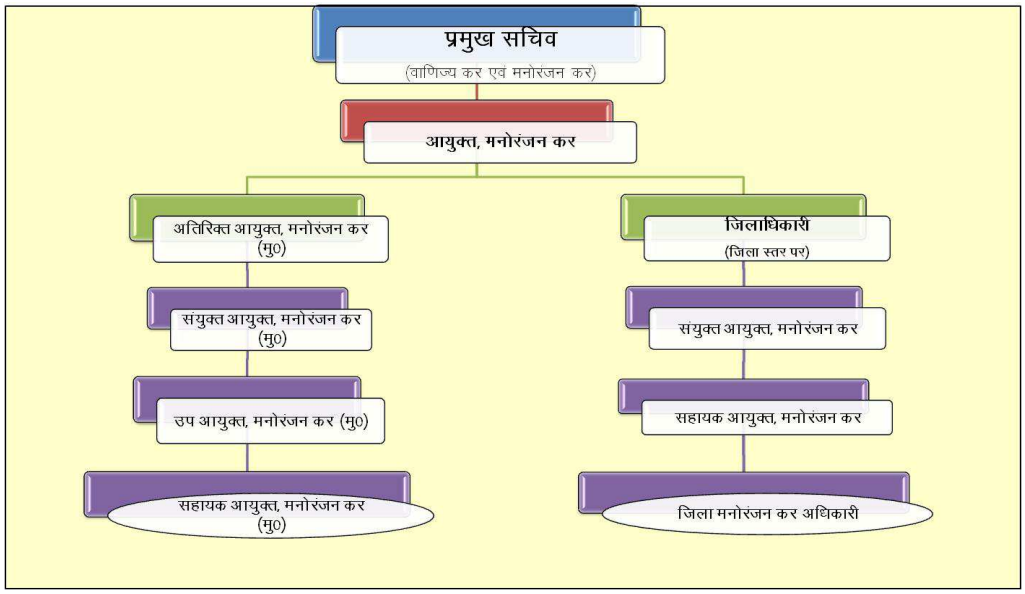

6.2 आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों के नियन्त्रण के रूप में पारिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं को विश्वस्त कराने कि निर्धारित प्रणालियाँ भली–भाँति कार्य कर रही हैं हेतु सक्षम बनाता है और इसे वित्त नियन्त्रक द्वारा नियन्त्रित किया जाता है। विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना 1974 में की गयी थी।

आ0ले0प0शा0 में, एक वित्त नियन्त्रक एक वरिष्ठ लेखापरीक्षक एवं एक लेखापरीक्षक के स्वीकृत पद के सापेक्ष एक वित्त नियन्त्रक एवं दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक कार्यरत हैं।

आन्तरिक लेखापरीक्षा योजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 6.1** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.1

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु उपलब्ध कुल इकाईयों की संख्या	आन्तरिक लेखापरीक्षा हेतु योजित इकाईयों की संख्या	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
2011–12	73	35	32	3	8.57
2012–13	76	36	27	9	25.00
2013–14	76	32	20	12	37.50
2014–15	76	34	19	15	44.12
2015–16	76	36	23	13	36.11

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

आ0ले0प0शा0 में पर्याप्त जनशक्ति होने के बावजूद लेखापरीक्षा योजना यथार्थपरक नहीं थी, एवं वर्षों के दौरान कमी 8.57 प्रतिशत से 44.12 प्रतिशत तक थी। आ0ले0प0शा0 द्वारा पर्याप्त लेखापरीक्षा न किये जाने से अपने आन्तरिक नियंत्रण एवं जवाबदेही के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका।

आ0ले0प0शा0 द्वारा वर्ष के दौरान आन्तरिक लेखापरीक्षा में उठायी गई एवं निस्तारित आपत्ति, उसमें निहित धनराशि का विवरण **सारणी 6.2** में उल्लिखित है।

सारणी 6.2

अनिस्तारित प्रस्तरों एवं धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम अवशेष	
	प्रकरणों की संख्या	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
2011–12	507	8.41	104	0.92	62	0.18	549	9.15
2012–13	549	9.15	104	0.50	61	0.58	592	9.07
2013–14	592	9.07	62	1.06	21	0.18	633	9.95
2014–15	633	9.95	63	11.87	289	0.65	407	21.16
2015–16	407	21.16	109	9.80	52	1.51	464	29.46

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि केवल वर्ष 2014–15 को छोड़कर के अन्य सभी वर्षों में आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा अनुपालन कम किया गया।

6.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2015–16 में मनोरंजन कर विभाग ने ₹ 622.23 करोड़ राजस्व वसूल किया। वर्ष 2015–16 में हमने मनोरंजन कर विभाग की कुल 75 इकाइयों में छः वार्षिक इकाईयाँ, एक द्विवार्षिक इकाई एवं 10 त्रिवर्षीय इकाईयों की लेखापरीक्षा आयोजना की एवं 16 आयोजित इकाइयों की नमूना जाँच की जिसमें 56 प्रकरणों में ₹ 3.55 करोड़ के कर एवं ब्याज आदि की अनियमिततायें प्रकाश में आयीं जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आती हैं जैसा कि **सारणी 6.3** में इंगित किया गया है।

सारणी 6.3
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	धनराशि
1.	कर की वसूली नहीं की गयी	13	2.97
2.	ब्याज प्रभारित नहीं किया गया	3	0.01
3.	अन्य अनियमिततायें	40	0.57
योग		**56**	**3.55**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचनायें

चार्ट 6.2

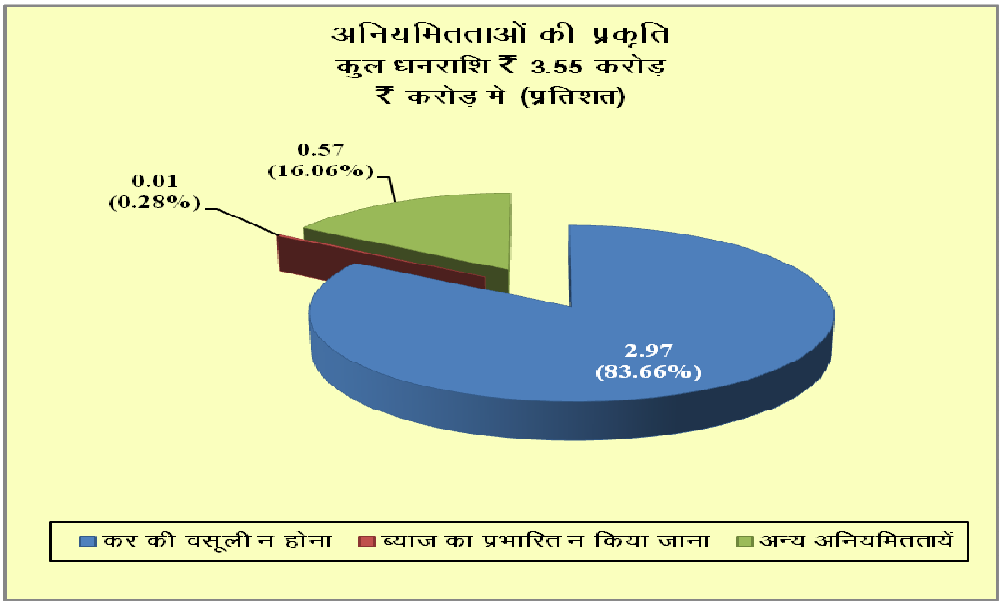

वर्ष 2015–16 के दौरान, विभाग ने आठ प्रकरणों में ₹ 17.21 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से तीन प्रकरणों में निहित धनराशि ₹ 15.07 लाख को वर्ष 2015–16 में इंगित किया गया था एवं शेष विगत वर्षों के थे। आठ प्रकरणों में ₹ 9.47 लाख की धनराशि वसूल हुयी जिसमें से तीन प्रकरण निहित धनराशि ₹ 7.33 लाख वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये एवं शेष विगत वर्षों के थे।

अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 15.07 लाख की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तर में की गयी है।

6.4 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

मनोरंजन कर विभाग के मनोरंजन कर आयुक्त एवं 15 जिला मनोरंजन कर अधिकारियों के कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में मनोरंजन कर की कम वसूली का प्रकरण प्रकाश में आया जिसका उल्लेख इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तर में किया गया है। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की त्रुटियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.5 केबल संचालकों से मनोरंजन कर की कम वसूली

केबिल संचालकों पर ₹ 24.83 लाख मनोरंजन कर देय था किन्तु उनके द्वारा मात्र ₹ 9.76 लाख ही जमा किया गया और ₹ 15.07 लाख अभी वसूल नहीं किया गया है।

उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली, 1997 के नियम 11 के अनुसार, केबिल टी.वी. स्वामी अपने उपभोक्ताओं से वसूल मनोरंजन कर की धनराशि शासकीय खाते में प्रत्येक माह के अन्तिम दिन से एक सप्ताह के अन्दर जमा करेगा।

हमने नवम्बर 2014 से मार्च 2016 के मध्य तीन जि0म0क0का0 के कर संग्रह के विवरण से संबन्धित परिशिष्ट–II पंजिका की जाँच की और देखा कि अप्रैल 2010 से फरवरी 2016 के मध्य कुल 285 में से 27 केबिल संचालकों पर ₹ 24.83 लाख मनोरंजन कर देय था। इसके विरुद्ध केबिल संचालकों द्वारा केवल ₹ 9.76 लाख जमा किये गये। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.07 लाख के मनोरंजन कर की कम वसूली हुयी। इन सभी प्रकरणों में, एक माह से 55 माह के व्यतीत हो जाने के बाद भी बकायेदारों से शेष देय ₹ 15.07 लाख की वसूली के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाये गये थे (**परिशिष्ट–XXXIX**)।

हमने मामले को शासन/विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2014 से अप्रैल 2016)। समापन गोष्ठी में विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया और बताया कि सम्बन्धित तीन जनपदों से ₹ 7.33 लाख की वसूली कर ली गयी थी एवं शेष धनराशि ₹ 7.74 लाख की वसूली के लिए कार्यवाही प्रगति में है। (अगस्त 2016)

(ब) राज्य आबकारी

6.6 कर प्रशासन

मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं अनुज्ञापन शुल्क का आरोपण उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के अन्तर्गत किया जाता है। विभिन्न प्रकार की मदिरा जैसे देशी मदिरा तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा का विनिर्माण अल्कोहल से होता है। आसवनियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर आबकारी राजस्व का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अलावा अनुज्ञापन शुल्क भी आबकारी राजस्व का भाग होती है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी) राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं। आबकारी विभाग आगरा, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी जोन में विभाजित है जिसके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित जनपदों के सहायक आबकारी आयुक्त के नियंत्रण में आबकारी निरीक्षकों की तैनाती होती है जो आबकारी अभिकर एवं सम्बन्धित राजस्व के आरोपण/उद्ग्रहण की देखरेख एवं विनियमन करते हैं।

विभाग का संगठनात्मक ढाँचा निम्नवत है:

चार्ट 6.3 संगठनात्मक ढाँचा

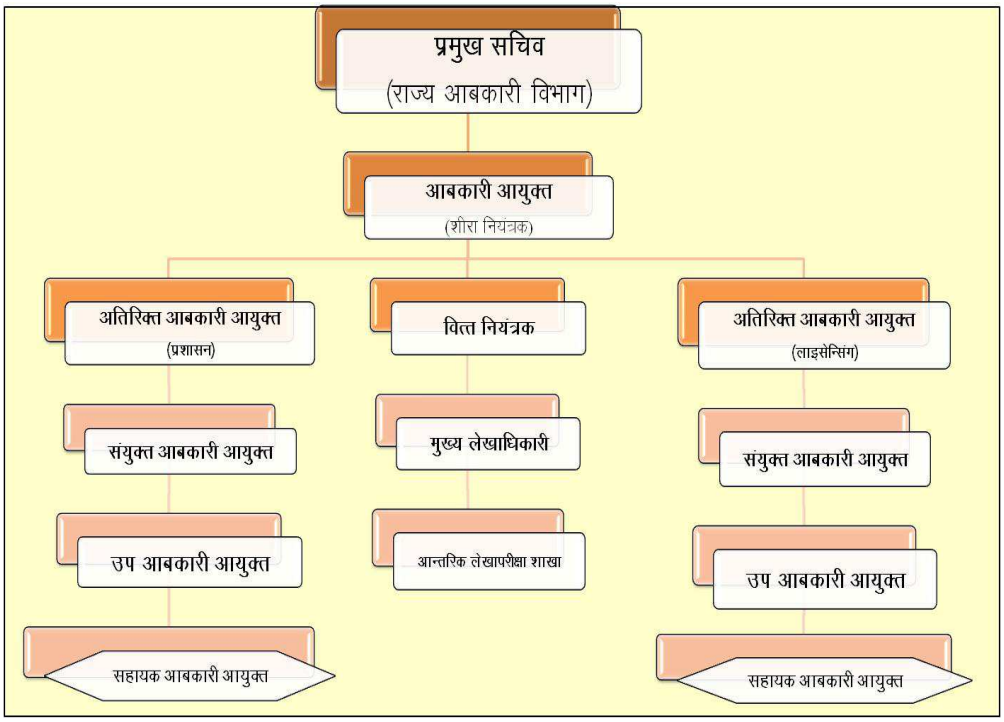

6.7 आन्तरिक लेखापरीक्षा

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा संगठन के आन्तरिक नियन्त्रण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण घटक है और सामान्यतया सभी नियन्त्रणों के नियन्त्रण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संगठन को स्वयं को विश्वस्त कराने कि निर्धारित प्रणालियाँ भली–भाँति कार्य कर रही हैं हेतु सक्षम बनाता है। स्वीकृत पदों एवं कार्यरत कार्मिकों की स्थिति **सारणी 6.4** में दी गयी है

सारणी 6.4
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा में कार्मिकों की स्थिति

क्रम सं0	पद	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी प्रतिशत में
1	वित्त नियंत्रक	1	1	0	0
2	वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0	0
3	वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0	0
4	सहायक लेखाधिकारी	2	1	1	50.00
5	वरिष्ठ लेखा परीक्षक	9	0	9	100.00
6	लेखाकार	4	3	1	25.00
7	लेखा परीक्षक	3	4	0	0
8	सहायक लेखाकार	1	1	0	0

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

आन्तरिक लेखापरीक्षा (आ0ले0प0) आयोजना का विवरण जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण **सारणी 6.5** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.5
आन्तरिक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा आयोजना

वर्ष	उपलब्ध इकाईयों की संख्या	आयोजित इकाईयों की संख्या	लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
2011–12	350	138	123	–15
2012–13	352	140	119	–21
2013–14	365	140	109	–31
2014–15	365	140	113	–27
2015–16	365	62	55	–07

स्रोत : विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

आ0ले0प0शा0 द्वारा वर्ष के दौरान सम्पादित आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं उठायी गयी एवं निस्तारित आपत्ति की संख्या और उसमें निहित धनराशि का विवरण **सारणी 6.6** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.6
आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा द्वारा उठायी गयी आपत्ति

(₹ लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान निस्तारण		अन्तिम शेष	
	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि	प्रकरणों की सं0	सन्निहित धनराशि
2011–12	360	2,110.63	136	70.22	199	352.35	297	1,828.50
2012–13	297	1,828.50	140	58.75	244	266.75	193	1,620.50
2013–14	193	1,620.50	101	46.13	70	37.52	224	1,629.11
2014–15	224	1,629.11	108	101.73	55	41.77	277	1,689.07
2015–16	277	1,689.07	78	201.32	18	4.34	337	1,886.05

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

चार्ट 6.4

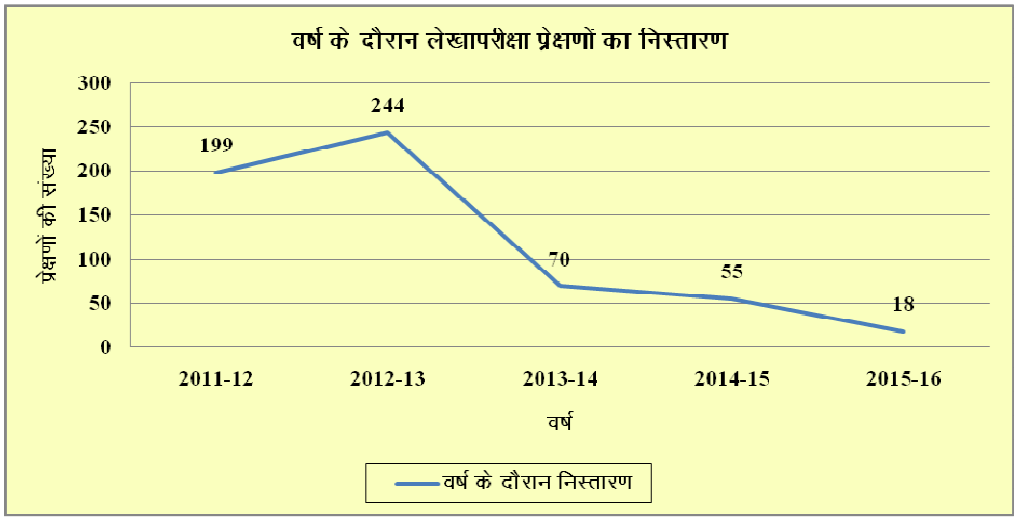

यह दर्शाता है कि आ0ले0प0शा0 द्वारा उठायी गयी आपत्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा अनुपालन बहुत कम किया गया है। विभाग द्वारा कर्मचारियों की कमी को प्रकरणों एवं धनराशि के निस्तारण में कमी का कारण बताया गया। विभाग का उत्तर तथ्यपरक नही पाया गया क्योंकि इसी अवधि में यद्यपि प्रकरणों की संख्या एवं धनराशि में बढ़ोत्तरी पायी गयी थी किन्तु निस्तारण में सुसंगत वृद्धि नहीं हुयी थी।

हम संस्तुति करते है कि आ0ले0प0शा0 को मजबूत किया जाय और एक यथार्थपरक वार्षिक लेखापरीक्षा आयोजना तैयार की जाय। विभाग द्वारा आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों में त्वरित वसूली के लिये समुचित कदम उठाया जाय।

6.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग ने वर्ष 2015–16 में ₹ 14,083.54 करोड़ का राजस्व वसूल किया। वर्ष 2015–16 में हमने राज्य आबकारी विभाग की कुल 236 इकाईयों में से 67 वार्षिक इकाइयाँ, एक द्विवार्षिक इकाई एवं 18 त्रिवर्षीय इकाइयों की आयोजना की और कुल 86 आयोजित इकाईयों में से 82 इकाईयों की नमूना जाँच की जिसमें आबकारी अभिकर/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं में ₹ 202.72 करोड़ सन्निहित धनराशि के 202 प्रकरणों का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं जैसा कि **सारणी 6.7** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.7
लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	**श्रेणी**	**प्रकरणों की संख्या**	**धनराशि**
1	आबकारी अभिकर की कम वसूली होना	26	23.22
2	अनुज्ञापन शुल्क/ ब्याज की वसूली नहीं किया गया	95	166.62
3	अन्य अनियमिततायें	81	12.88
योग		**202**	**202.72**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

चार्ट 6.5

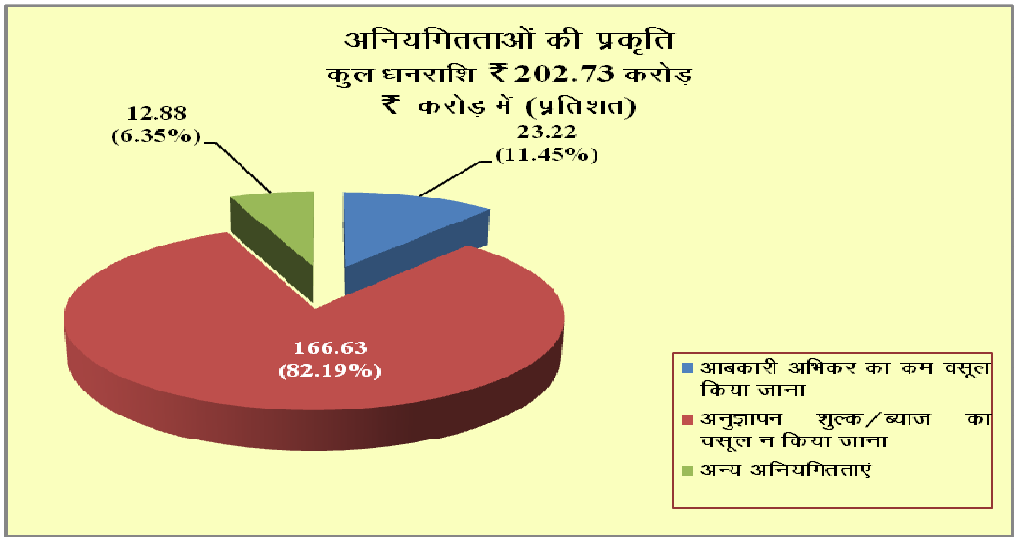

वर्ष के दौरान विभाग ने 10 मामलों में ₹ 37.45 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया जिनमें से सन्निहित धनराशि ₹ 37.43 करोड़ के चार प्रकरण वर्ष 2015–16 में इंगित किये गये तथा शेष विगत वर्षों के थे। विगत वर्षों से सम्बन्धित छः प्रकरणों में ₹ 1.68 लाख धनराशि की वसूली की गयी।

अनुपालन में कमी के कुछ निदर्शी मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 46.77 करोड़ की चर्चा निम्नलिखित प्रस्तरों में की गयी है।

6.9 लेखापरीक्षा प्रेक्षण

राज्य आबकारी विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की हमारी जाँच में बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और जमा प्रतिभूति के समपहरण में विफलता एवं बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर का विक्रय के प्रकरण दर्शाये गये जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित है। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा किये गये नमूना जाँच पर आधारित हैं। हम इस प्रकार की त्रुटियों को प्रत्येक वर्ष इंगित करते हैं परन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती। शासन को आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है जिससे भविष्य में इस प्रकार की कमियों की पुनरावृत्ति होने से बचा जा सके।

6.10 दुकानों के चयन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं जमा की गयी। इस विफलता के लिए व्यवस्थापन का निरस्तीकरण एवं जमा बेसिक अनुज्ञापन शुल्क और प्रतिभूति धनराशि ₹ 37.43 करोड़ के समपहरण की कार्यवाही जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था नहीं प्रारम्भ की गयी।

उत्तर प्रदेश आबकारी (देशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापन का व्यवस्थापन) नियमावली–2002 का नियम–12 प्रावधानित करता है कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति धनराशि का आधा 10 कार्यदिवस के अन्दर एवं शेष प्रतिभूति धनराशि 20 कार्यदिवस के अन्दर जमा करनी होगी। विफलता के प्रकरण में, दुकान का चयन निरस्त कर दिया जायेगा और बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं जमा प्रतिभूति की धनराशि,

यदि कोई हो, तो शासन के पक्ष में समपहृत हो जायेगी और तत्काल दुकान का पुनर्व्यवस्थापन किया जायेगा।

हमने अगस्त, 2015 एवं फरवरी, 2016 के मध्य मैनपुरी और उन्नाव के दो जिला आबकारी कार्यालयों के जी–12 (दुकानों के व्यवस्थापन का विवरण) और देशी मदिरा की दुकानों के व्यवस्थापन पत्रावलियों का परीक्षण किया और पाया कि वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में यद्यपि 1007 देशी मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन या नवीकरण किया गया, इन अनुज्ञापियों द्वारा प्रतिभूति जमा की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया गया। विलम्ब की अवधि एक से 550 दिनों के मध्य थी। इस विफलता के लिये कोई कार्यवाही जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था नहीं की गयी। जैसा कि प्रावधानों/नियमों के अन्तर्गत कोई शिथिलता अनुमन्य नहीं है, विभाग द्वारा कार्यवाही न किये जाने से शासन सम्पूर्ण धनराशि ₹ 37.43 करोड़ के बे0अ0शु0 व प्रतिभूति जमा जो समपृहत भी की जानी थी, से वंचित रहा, जैसा कि **सारणी 6.8** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.8

बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	इकाईयों का नाम	वर्ष	दुकानों की संख्या	प्रतिभूति जमा को जमा करने में विलम्ब की अवधि दिनों में	समपहरण योग्य बे0अ0शु0	समपहरण योग्य प्रतिभूति जमा	समपहरण योग्य कुल धनराशि
1	जि0आ0अ0 मैनपुरी	2014–15	117	48–550	1.59	0.70	2.29
		2015–16	162	39–210	1.95	0.39	2.34
2	जि0आ0अ0 उन्नाव	2014–15	383	1–65	7.49	6.44	13.93
		2015–16	345	1–183	10.83	8.04	18.87
	योग		**1,007**	**1–550**	**21.86**	**15.57**	**37.43**

स्रोत : जी–6 रजिस्टर से उपलब्ध सूचना

हमने मामले को विभाग व शासन को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2015 एवं मार्च 2016)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग हमारे प्रेक्षण से सहमत हुआ और बताया कि अब सभी धनराशियाँ जमा करा ली गयी हैं (सितम्बर 2016)।

6.11 बीयर बार अनुज्ञापन के बिना बीयर की बिक्री किया जाना

तीन सौ चौंसठ अनुज्ञापियों पर एफ0एल0–7ख अनुज्ञापन शुल्क आरोपित नहीं किया गया जिससे वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान शासन ₹ 6.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा।

जैसा कि उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा (बीयर और वाइन को छोड़कर) की फुटकर बिक्री के लिये अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली 2002 में परिभाषित है विदेशी मदिरा में माल्ट स्प्रिट, व्हिस्की, रम, ब्राण्डी, जिन, वोदका और मदिरा शामिल है। बीयर इस परिभाषा में शामिल नहीं है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 और उसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के नियम 647 एवं 648 के अनुसार, उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की थोक तथा फुटकर बिक्री) (तेरहवाँ संशोधन) नियमावली 2002 में कहा गया है कि होटल, डाक बंगला या जलपान गृहों के परिसरों में बीयर की फुटकर बिक्री हेतु प्रपत्र एफ0एल0–7(ख) में बीयर बार अनुज्ञापन अपेक्षित है। नियम 10 में चार व पाँच सितारा होटलों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एफ0एल0–6ए सम्मिश्र अनुज्ञापन, और उपरोक्त के अतिरिक्त होटलों के लिए एफ0एल0–6 अनुज्ञापन निर्गम किये जाने हेतु प्राविधानित है। जलपान गृहों द्वारा विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए एफ0एल0–7 अनुज्ञापन अपेक्षित है।

एफ0 एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 केवल ड्राफ्ट बीयर की बिक्री को ही आच्छादित करेगा और न कि बोतल में भरी बीयर की।

हमने मई 2014 से फरवरी 2016 के मध्य 32 में से 23 जि0आ0का0 के बार अनुज्ञापनों, उपभोग विवरण एवं राजस्व संग्रह रजिस्टर की नमूना जाँच की और पाया कि अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2015 के मध्य होटल/जलपान गृह बार के अनुज्ञापन एफ0एल0–6, एफ0एल0–6ए सम्मिश्र और एफ0एल0–7 श्रेणी के 364 अनुज्ञापन व्यवस्थित या नवीनीकृत किये गये, जहाँ बीयर का उपभोग भी दर्शाया गया था। इन होटलों/जलपान गृहों को बीयर की फुटकर बिक्री हेतु अपेक्षित अनुज्ञापन एफ0एल0–7ख निर्गत नहीं किया गया था। एफ0एल0–7ख के अनुज्ञापन जारी न करने के फलस्वरूप शासन ₹ 6.70 करोड़ के अनुज्ञापन शुल्क से वंचित रहा। **(परिशिष्ट-XL)**

हमने मामला शासन एवं विभाग को प्रतिवेदित किया (मार्च 2014 एवं फरवरी 2016 के मध्य)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग द्वारा बताया गया कि कि जैसा कि सम्बन्धित नियमों में उल्लिखित है, बीयर विदेशी मदिरा में शामिल है। विभाग का उत्तर इस आधार पर मान्य नहीं है क्योकि बीयर के फुटकर बिक्री के लिए एफ0एल0–7ख अनुज्ञापन अलग से निर्धारित है (सितम्बर 2016)।

6.12 नियमों के उल्लंघन पर अनुज्ञापन के निरस्त करने एवं प्रतिभूति जमा के समपहरण किये जाने में विफलता

वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की अवधि में 68 फुटकर विक्रेताओं द्वारा नियमों के उल्लंघन पर विभाग अनुज्ञापन के निरस्त करने एवं प्रतिभूति जमा ₹ 2.64 करोड़ के समपहरण में विफल रहा।

उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा के मॉडल शाप के लिये फुटकर अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2003 के प्रस्तर 13, 14, एवं 16, उत्तर प्रदेश आबकारी विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों (बीयर एवं वाइन को छोड़कर) का व्यवस्थापन नियमावली, 2001 तथा उत्तर प्रदेश (देशी मदिरा के फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2002 क्रमशः प्रावधानित करती हैं कि राज्य सरकार के अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम फुटकर मूल्य, देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर के बोतलों या कन्टेनरों के लेबुलों पर छापा जायेगा और अनुज्ञापी बोतल के लेबुल पर छपे अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक उपभोक्ता से वसूल नहीं करेगा। इन नियमों के अन्तर्गत प्रदान किये गये अनुज्ञापन की शर्तें बताती हैं कि फुटकर अनुज्ञापी छपे हुए अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य नहीं वसूलेंगे, फुटकर अनुज्ञापन के नियम व शर्तों का उल्लंघन करने पर या किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध होने पर संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 अथवा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रापिक सबस्टेन्सेज अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत अनुज्ञापी अनुज्ञापन रद्द होने एवं प्रतिभूति जमा के समपहरण के अतिरिक्त प्रासंगिक कानूनों के अन्तर्गत आरोपित शास्ति का दायी होगा।

हमने जिला आबकारी कार्यालयों गौतम बुद्व नगर एवं मेरठ के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की उल्लंघन पंजिका की जाँच की और पाया कि विभाग द्वारा उल्लंघन के 1,420 मामलों में से 68 मामले दर्ज किये जहाँ मदिरा अधिकतम फुटकर मूल्य से अधिक पर विक्रय करते हुये पायी गयी, और प्रत्येक मामले में इन दुकानों पर केवल ₹ 5,000 की एक समान दर से शास्ति आरोपित की गयी थी। नियमों के उल्लंघन किये जाने के बावजूद शास्ति आरोपण के अतिरिक्त उनके विरुद्ध जैसा कि नियमों और अधिनियमों में परिभाषित है कोई कार्यवाही जैसे अनुज्ञापन को रद्द करने और प्रतिभूति जमा ₹ 2.64 करोड़ का समपहरण, नहीं की गयी थी जैसा कि **सारणी 6.9** में दर्शाया गया है।

सारणी 6.9

नियमों के उल्लंघन पर अनुज्ञापन के निरस्त करने एवं प्रतिभूति जमा के समपहरण में विफलता

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	**इकाई का नाम**	**वर्ष**	**प्रकरणों की संख्या**	**प्रशमित धनराशि**	**प्रतिभूति जमा जो समपहृत होनी चाहिये**
1	जि0आ0अ0 गौतम बुद्व नगर	2014–15	6	30,000	21,96,240
2	जि0आ0अ0 मेरठ	2014–15	58	2,90,000	2,26,44,636
		2015–16	4	20,000	16,00,000
योग			**68**	**3,40,000**	**2,64,40,876**

स्रोत : उल्लंघन पंजिका से उपलब्ध सूचना

बार–बार उल्लंघन के प्रकरणों को सम्मिलित करते हुये इन सभी मामलों में विभाग ने केवल शमन शास्ति आरोपित किया लेकिन अनुज्ञापन को रद्द करने और प्रतिभूति जमा का समपहरण करने जैसी निवारणात्मक कार्यवाही नहीं की।

हमने मामला शासन को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2015)। समापन गोष्ठी के दौरान विभाग द्वारा बताया गया कि मामलों में जहाँ अनुज्ञापियों ने शमन के लिए अनुरोध किया, नियमानुसार कार्यवाही की गयी थी। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि फुटकर अनुज्ञापन के नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के मामलों में प्रासंगिक नियमों के अधीन शास्ति आरोपित करने के अतिरिक्त अनुज्ञापन निरस्त होना एवं प्रतिभूति जमा को समपहृत किया जाना चाहिये था (सितम्बर 2016)।

लखनऊ

(विनीता मिश्रा)
महालेखाकार
आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक